न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राज0)

अपील संख्याः— 12/99/2025 रजू दिनांकः 19.06.2025 रजि0 न0 2025/248

अपीलार्थीः—

श्री विजय सिंह नरूका, अरावली विहार विस्तार योजना सूर्य नगर, अलवर, जिला अलवर राज

प्रत्यर्थीः—

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन नगर विकास न्यास अलवर, जिला अलवर (राजस्थान) 301001

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः— 08.07.2025

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा—6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 09.05.2025 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 30.06.2025 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रत्यर्थी द्वारा पत्र कमांक यूआईटी/आर.टी.आई/2025/5210 दिनांक 30.06.2025 के द्वारा अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा आरटीआई कमांक 172/2025 में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन कमांक 09.05.2025 के द्वारा सात बिन्दुओं के संबंध में सूचना चाही गई थी। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना अपूर्ण एवं अस्पष्ट होने के कारण न्यास द्वारा अपीलार्थी को पत्र कमांक 1537 दिनांक 15.05.2025 के द्वारा स्पष्ट विनिश्चय से अवगत करा कर सूचित किया जा चुका है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी के द्वारा सूचना का अधिकार के अधिनियम 2005 के अन्तर्गत वांछित सूचना के संबंध में अपीलार्थी को न्यास पत्रांक 1537 दिनांक 15.05.2025 के द्वारा सूचित करते हुए विनिश्चय कर सूचना अपीलार्थी को प्रेषित की जा चुकि है। अपील अपीलार्थी अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 08.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)